सावधान : किसान

''जीनोम रक्षकों '' के लिए पंजीयन या पुरूस्कार का अर्थ किसानों के हितों का संरक्षण नहीं है ।

पादप प्रजाति संरक्षण तथा कृषक अधिकार अधिकरण [1] ने पादप एवं जीनाम रक्षक समुदाय मान्यता पुरूस्कार की घोषणा, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय के '' जीनेटिक संसाधनों के संरक्षण एवं वृद्धि'' [2] में योगदान को मान्यता प्रदान करना है । पुरूस्कार की घोषणा पादप प्रजाति अधिकरण के पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत् की गयी है । पुरूस्कार का उद्घेष्य कानून में निहित समस्या से ध्यान हटाने का प्रयास है वास्तव में कानून किसानों के उनकी फसल के स्वामित्व के अधकार को बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं या कंम्पनियों को हस्तान्तरित करना है पादप अधिकार अधिकरण के कार्यों का अवलोकन से पता चलता है कि पुरूस्कार किसानों को बहलाकर (आकर्षित कर) उनकी फसलों का पंजीयन करना है । ताकि वे फसल का उपयोग नयी किस्मों को विकसित करने में कर सके और अधिक से अधिक ''प्रजनक अधिकार'' जारी कर सके जोकि पेटेन्ट से छोटा है ।

पादप प्रजाति अधिकरण, कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है । इस अधिकरण में सभापति के अतिरिक्त पन्द्रह सदस्यों में राषट्रीय या राज्य स्तर के कृषक संगठन के एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है । पादप प्रजाति अधिकरण के तहत राष्ट्रीय प्रजाति पंजीयन स्थापित किया गया है । यह पंजीयन कार्यालय राष्ट्रीय पादप प्रजाति रजिस्टर का रख रखाव करेगा जिसमें सभी पादप प्रजातियॉ सूचीबद्ध होगी । कानून के तहत् पंजीयन वैकल्पिक होगा यह उन लोगों के लाभ के

लिए होगा जो नवीन, भिन्न, एकरूप और स्थायी पादप प्रजाति जिसे सम्भवतः विकिसित किया है उस पर सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार चाहते हैं । इस कानून के तहत पंजीयन का प्रभाव यह होगा कि प्रजनक आवेदन कर पादप प्रजाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा जो प्रजनक को पादप प्रजाति के उत्पादन, विक्रय, बाजार वितरण, आयात एवं निर्यात् का फसलों के सन्दर्भ में पन्द्रह वर्ष एवं पेड़ एवं लताओं के सन्दर्भ में अट्ठारह वर्ष के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त होगा या कर सकेगा । इस पंजीयन के द्वारा पादप प्रजाति संरक्षराण का अर्थ केवल पादपों पर आर्थिक अधिकारों का संरक्षण है नकि पादपों का संरक्षण । किस्मों को विकसित करने वालों को पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रदान करना यह प्रदर्षित करता है कि सरकार प्रजनक को बनाने वाले एवं मलिकाने का पहचान देती है । कानून यह भी व्याख्या करता है कि पादप अधिकरण किसानों की पादप प्रजातियों के दस्तावेज, सूची और कैटालॉग तैयार करें । यह याद रखना चाहिए कि किसानों की इच्छा के विरूद्ध पादप प्रजातियों को सरकार द्वारा बनाये गये रजिस्टर में सूचीबद्ध करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता है ।

कानून में यह प्रावधान है कि जो किसान भूमि प्रजाति के जिनेटिक संसाधनों और जंगली प्रजाति के आर्थिक महत्व के पादपों के संरक्षण और चुनाव और बचाव की प्रक्रियॉ द्वारा विकास में लगे हैं वे राष्ट्रीय जीन कोष से पहचान एवं प्ररूस्कार निर्धारित प्रक्रियॉ द्वारा प्राप्त कर सकेंगे । यह माना जाता है कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय जीन कोषकी स्थापना कर सकती है और कानून के तहत पुरूस्कारों के लिए नियम बनाकर कोष को सषक्त कर सकती है । कानून में यह साफतौर पर वर्णित है कि पुरूस्कार केवल उन किसानों की किस्मों के लिए है जिनका प्रजनकों के लिए कुछ आर्थिक महत्व हो और जिनका उपयोग आधार पदार्थ या दाता फसल के रूप में प्रजनक द्व ारा आगे विकास के लिए किया जा सके । अतः यह माना जाता है कि

किसानों द्वारा कच्चे माल की सुरक्षा या बचाव होगी जिसे प्रजनकों द्वारा बाद मे ंपादप किस्मों में विकसित किया जा सकेगा जिससे बाजार और फायदा मिल सके ।

राष्ट्रीय जीन कोष का संचय प्रजनकों (षोध संस्थान, घरेलू कंपनी या विदेषी बहुराष्ट्रीय कंपनी) द्वारा पंजीयन के समय पादप प्रजाति प्रमाण पत्र जारी करते समय दी गयी षुल्क (फीस) द्वारा होता है । अतः किसनों को सम्मान या उपहार उस रकम से है जो किसानों के जीन पदार्थों के निजीकरण से प्राप्त होता है । जीनाम रक्षक पुरूस्कार की घोषणा आदिवासी किसान और ग्रामीण समुदाय के लिए उसी रकम से है जो विवादित कानून के समर्थन के लिए एक चतुराई भरी चाह है ।

छोटे किसान किस्म का चयन और विकास करते समय न केवल जीन की सुरक्षा करते हैं बल्कि जीवन के आयाम और संस्कृति को भी संरक्षित करते हैं । किसानों को केवल जीनोम रक्षकों के रूप में पहचान देना उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को इस रूप में सीमित करना है जिसे न तो वे समझते हैं और न ही पसन्द करते हैं । बीज और पादप किसानों के लिए केवल जीनोम न होकर , जीवन, जीवन यापन के साधन और संस्कृति का आधार है । जबकि कानून और नियम में यह निहित है कि कोष की रकम को कृषि जैन विविधता विषिष्ट क्षेत्र संरक्षण और पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए उपयोग किया जायेगा । क्या यह रकम किसानेां को स्वीकार्य होगी ? यदि, जिसका स्त्रोत उस सिद्धान्त और प्रक्रियॉ में निहित है जोकि उनके फसलों पर अधिकार से वंचित करता है । इस प्रकार के कानून जो किसानों और आदिवासी समुदाय के अस्तित्व की रक्षा और पहचान देने का दावा करता है वास्तव में यह गरीबों को संसाधनों पर सम्मलित अधिकार से वंचित करता है

और उस रास्ते को तैयार करता है जहॉं आदिवासी और ग्रामीण समुदाय बुरीतरह दर किनार हो जायेगा ।

जैव विविधता पर समुदायिक नियंत्रण अभियान द्वारा ––––

1– पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिकरण, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहयोग विभाग, एन0ए0एस0सी0 काम्प्लेक्स, डी0पी0.एस0 मार्ग, टोडापुर, नई दिल्ली–110012
फोन : 01125848127, ई–मेल : plantauthority@gmail.com
वेबसाइट : http://plantauthority.in

2– unsung guardians of food security
http://www.hinduonnet.com/2007/02/17/stories/2007021702011200.html